UPSR040005312009

न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– (विनीत कुमार यादव) - उ०प्र० न्यायिक सेवा – UP02316

क्रिमिनल केस/302732/2009

राज्य ––––अभियोगी।

बनाम

1. बालकराम पुत्र बॉचे **(मृतक दौरान मुकदमा)**

2. नीबर पुत्र बालकराम

3.स्वामीनाथ पुत्र बालकराम

4.प्रदीप कुमार पुत्र बालकराम

निवासीगण–ग्राम सहियापुर दा० भीखपुर तराई, थाना–को० भिनगा, जनपद–श्रावस्ती।

–––अभियुक्तगण।

मु० अ० सं०–सी–02/2009
धारा–323, 325, 504, 506 भा०दं०सं०,
थाना–को० भिनगा, जिला–श्रावस्ती।

निर्णय

1– अभियुक्तगण **बालकराम, नीबर, स्वामीनाथ व प्रदीप कुमार** निवासीगण–ग्राम सहियापुर दा० भीखपुर तराई, थाना–को० भिनगा, जनपद–श्रावस्ती के विरूद्ध पुलिस थाना–भिनगा द्वारा धारा–323, 325, 504, 506 भा०दं०सं० के अंतर्गत आरोप–पत्र न्यायालय में विचारण हेतु प्रेषित किया गया।

2– संक्षेप मे अभियोजन कथानक के तथ्य इस प्रकार है कि वादी मुकदमा विजय कुमार उर्फ तेजराम की ओर से थाने में जुबानी सूचना इस आशय की दी गयी कि दिनांक 02.12.2008 को समय करीब प्रातः 5.30 बजे रास्ते के विवाद को लेकर वादी तथा उसके ससुर माता प्रसाद को भददी भददी गाली गुप्ता देते हुये लाठी डण्डा से मारे पीटे जिससे दोनों के शरीर पर काफी चोटें आयी। वादी की सूचना पर थाने में NCR सं० 250/2008 दिनांक 02.12.2008 को धारा–323, 504, 506 IPC में दर्ज की गयी। उक्त मामले की विवेचना हेतु वादी द्वारा न्यायालय में धारा–155(2) दं०प्र०स का प्रा० पत्र प्रस्तुत किया गया जिसपर पारित आदेश दिनांकित 12.12.2008 के अनुपालन में मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी। विवेचनाधिकारी द्वारा उक्त मामले की विवेचना में घटनास्थल का नक्शा नजरी तैयार किया गया तथा गवाहान का बयान अंकित किया, चुटैलों की

चिकित्सीय आख्या एकत्र की गयी। वादी की एक्सरे रिपोर्ट में फ्रैक्चर की चोट आने पर मामले में धारा–325 भा०दं०सं की बढ़ोत्तरी की गयी तथा मामले को अपराध सं० C–2/2009 में तरमीम करते हुये सम्पूर्ण विवेचनोपरान्त अभियुक्तगण बालकराम, नीबर, स्वामीनाथ व प्रदीप कुमार के विरुद्ध धारा–323, 325, 504, 506 भा०दं०सं के अंतर्गत आरोप–पत्र न्यायालय में विचारण हेतु प्रेषित किया गया।

3– न्यायालय द्वारा मामले का संज्ञान लिया गया तथा मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्तगण को विधिवत तलब किया गया। अभियुक्तगण न्यायालय हाजिर आये तथा अपनी–अपनी जमानतें करायीं। दिनांक–25.01.2014 को अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की। न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण का विचारण स्वीकार किया गया। अभियोजन पक्ष को साक्ष्य का अवसर दिया गया।

4– अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र में अंकित गवाहों में विजय कुमार वादी मुकदमा को पी०डब्ल्यू०–1 व पार्वती को पी०डब्ल्यू०–2 के रूप में सशपथ परीक्षित कराया गया है। वादी मुकदमा द्वारा दिये गये उन्मोचन प्रा० पत्र को स्वीकार कर शेष साक्षीगण को उन्मोचित किया गया तथा बचाव पक्ष की ओर से आरोप–पत्र में अंकित अन्य साक्षियों की औपचारिक सत्यता स्वीकार कर ली गयी है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष का सम्पूर्ण साक्ष्य परीक्षित माना गया। **दौरान विचारण अभियुक्त बालकराम की मृत्यु आख्या प्राप्त होने उसके विरूद्ध वाद की कार्यवाही उपशमित की गयी।**

5– अभियोजन साक्ष्य समाप्ति के उपरान्त अभियुक्तगण का बयान अंतर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया। अभियुक्तगण द्वारा घटना से इन्कार करते हुए कथन किया गया कि उनके ऊपर फर्जी व रंजिशन मुकदमा बनाया गया है, वे निर्दोष हैं। अभियुक्तगण द्वारा अपनी प्रतिरक्षा में कुछ और न कहने का कथन किया गया।

6– मैंने विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक रूप से परिशीलन किया।

7– अभियोजन को इस प्रकरण मे सफल होने के लिए यह सिद्ध करना होगा कि अभियुक्तगण ने रास्ते के विवाद को लेकर वादी मुकदमा को भद्दी–भद्दी गाली देते हुए मारा–पीटा तथा जान–माल की धमकी दी।

8– दाण्डिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अभियुक्त की दोषसिद्धि हेतु अभियोजन पक्ष को अपने कथानक को किसी भी युक्ति–युक्त सन्देहों से परे साबित करना

आवश्यक होता है। अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के विरूद्ध मामला सन्देह से परे साबित करना होगा तथा यदि साक्ष्य की सत्यता पर सन्देह उत्पन्न होता है, तो उक्त का लाभ सदैव अभियुक्त को दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **परमजीत सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य, AIR2011SC200** में यह अवधारित किया गया है कि "*The burden of proof in a criminal trial never shifts and it is always the burden of the prosecution to prove its case beyond reasonable doubt on the basis of accepetable evidence.*"

9– प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन की ओर से परीक्षित वादी मुकदमा पी०डब्ल्यू०–1 विजय कुमार ने अपने मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है और कहा है कि रास्ते के विवाद को लेकर उसकी मुल्जिमान से कहा सुनी हुयी थी। खडण्जे पर गिर जाने के कारण उसे चोटें आयी थी जिसकी डाक्टरी करायी थी। उसे मुल्जिमान ने मारा पीटा नहीं था न ही गाली गुप्ता व जान माल की धमकी दी थी। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा जिरह में साक्षी ने विवेचक को दिये गये बयान अंतर्गत धारा–161 दं०प्र०स से इन्कार करते हुये कहा है कि उसने ऐसा कोइ बयान दरोगाजी को नहीं दिया था कैसे लिख लिया वह बता नहीं सकता। साक्षी पी० डब्ल्यू०–2 पार्वती ने अपने मुख्य परीक्षा में ही घटना का समर्थन नहीं किया है और कथन किया कि उसके पति की मुल्जिमान से कहा सुनी हो गयी थी। सड़क पर गिर जाने से उसे चोटें आयी थी। दरोगाजी ने उसका बयान नहीं लिया था। इस प्रकार पी०डब्ल्यू० 1 वादी मुकदमा/ चुटैल विजय कुमार व साक्षी पी० डब्ल्यू०–2 पार्वती ने अपने–अपने बयान में घटना का लेशमात्र भी समर्थन नही किया है, जिससे घटना साबित नही होती है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय तथ्य है कि अभियोजन पक्ष द्वारा उपरोक्त घटना को साबित करने हेतु कोई भी अन्य स्वतन्त्र साक्षी या चश्मदीद साक्षी को परीक्षित नही कराया गया है, इस प्रकार अभियोजन कथानक संदिग्ध प्रतीत होता है। बचाव पक्ष द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की सत्यता को स्वीकार किया गया है, परन्तु अभियोजन प्रपत्रों की मात्र सत्यता स्वीकार करने से अभियोजन कथानक प्रमाणित नही होता है।

11– अतः उपरोक्त सम्पूर्ण संकलित साक्ष्यों से अभियुक्तगण द्वारा अपराध कारित किया जाना सन्देह से परे प्रमाणित नही होता है। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर अन्य कोई ऐसा साक्ष्य नही है, जिससे की अभियुक्तगण उपरोक्त को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा–323, 325, 504, 506 भा०दं०सं० के अपराध में दोषसिद्ध किया जा सकें। अतः उपरोक्त अभियुक्तगण उपरोक्त मामले में दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण **नीबर, स्वामीनाथ व प्रदीप कुमार** को आरोपित अपराध **अंतर्गत** धारा–**323,325,504,506** भा०दं०सं० के आरोपों से संदेह का लाभ देते हुये **दोषमुक्त** किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं। अभियुक्तगण के जमानतनामें तथा व्यक्तिगत बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं, तथा जमानतदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है ।

धारा 437–A द०प्र०सं० के तहत दाखिल जमानतनामें व बन्ध पत्र, इस निर्णय की अपील न होने की सूरत में, आगामी छः माह तक प्रभावी रहेंगे।

(विनीत कुमार यादव)
दिनांक–07.03.2026 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
श्रावस्ती।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

(विनीत कुमार यादव)
दिनांक–07.03.2026 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
श्रावस्ती।